(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 649- तीन/07 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22.1.07 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, द्वारा प्रकरण क्रमांक 180/अपील/05—06

1.मुस0बेबा संन्तोष पत्नी स्व0 भुवनेश्वर
2.रावेन्द्र प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद
3.नागेन्द्र प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद
4.राघवेन्द्र प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद .....आवेदकगण
5.बिमलेन्द्र प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद
समस्त निवासी जोगिनिहाई,तहसील रायपुर कर्चु0
जिला—रीवा म0प्र0

विरूद्ध

1.बृजेश कुमार मिश्रा तनय श्री शेषमणि मिश्रा
निवासी—ग्राम जोगिनिहाई
तहसील रायपुर कर्चु0, जिला—रीवा
म0प्र0 .....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आदेश दिनांक 15–3–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 180/अपील/2005–2006 में पारित आदेश दिनांक 22.1.2007 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2 – प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा नक्शे में दिनांक 1–8–03 को लाल स्याही से नक्शा तरमीम किया गया, इस आदेश के विरुद्व अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, की जहां पर निगरानी का समय बाधित मानते हुये निगरानी निरस्त की गयी । इसी आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 22.1.07 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करने के निर्देश दिये। इसी से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगणें के स्व0 पिता द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु0 के द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को अपने तर्क में उठाया गया है जो अन्होने अपने निगरानी आवेदन पत्र में उठाये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत उक्त अर्पाल में आवेदकगणों को उपस्थित होने के लिये दिनांक 31.8.06 की तारीख नियत की गई थी जिस दिनांक को आवेदक कमांक 2 उपस्थित हुआ और अगली पेशी दिनांक 28.2.07 नियत की गई लेकिन पुनः अपर आयुक्त

रीवा के द्वारा या तो स्वतः आदेश पत्रिका में काट पीट करते हुये 28.2.07 की जगह 28.10.06 की तारीख अंकित कर दी गई जबकि सामान्यतः पक्षकार एवं अधीनस्थ न्यायालय के तलवी हेतु पेशी 6 माह की नियत की जाती है लेकिन न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण का निराकरण ही कर दिया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि नायब तहसीलदार रायपुर कर्चु0 के न्यायालय में दायरा पंजी में दर्ज नहीं है, जिससे सरसरी तौर पर विचारण न्यायालय को चाहिये था कि तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु0 का प्रकरण आहूत कर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत आदेश पारित करना था । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

4/ अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों के तहत ही किया गया है इसलिये उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं है। अतः उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5/– मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन कर विचार किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा स्मरण पत्र भेजे जाने पर तहसीलदार , तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ने अपने पत्र कमांक 627/प्रवाचक/2006 दिनांक 20–12–06 के द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 1998–99 से 2003–04 तक की राजस्व दायरा पंजी के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण राजस्व दायरा पंजी में दर्ज नहीं है, अतः विचारण न्यायालय के अभिलेख के बिना गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

5/– अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि निगरानीकर्ता ने दिनांक 19–08–05 से 22–08–05 तक की अवधि का तथा 1–8–03 की जानकारी उसे कैसे हुई इसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है उनका यह निष्कर्ष उचित नहीं है। यदि कोई हितधारी व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना कोई आदेश परित किया जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत विलंब माफी के आवेदन पत्र पर रुख अपनाते हुये आदेश पारित करना चाहिये था । इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के द्वारा मनमानी रुप से नक्शे में लालस्याही से संशोधन किया गया है जो स्पष्ट रुप

से परिलक्षित है। जैसे कि नायब तहसीलदार के पत्र दिनांक 20–12–06 से स्पष्ट है कि प्रकरण राजस्व दायरा पंजी में दर्ज ही नही किया गया है। जब प्रकरण राजस्व दायरा पंजी में दर्ज ही नहीं है तो हितधारी व्यक्ति को सुना जाना भी संदेहात्मक है और इसी कारण से अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त किये गये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 180/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 22.1.07 उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर